

आवेदिका द्वारा श्री एम.एस.यादव अधिवक्ता ।

प्रकरण आज राजीनामा प्रस्तुति हेतु नियत है ।

इसी प्रास्थिति आवेदिका अधिवक्ता श्री एम.एस.यादव ने व्यक्त किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा पूर्व में ही हो चुका है और वह साथ-साथ रह रहे हैं। इसलिए उक्त राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन पर बल ना देना व्यक्त किया एवं आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया। फलतः बल देने के अभाव में आवेदिका का आवेदन अन्तर्गत धारा 125 द.प्र.सं. निरस्त किया गया।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।